


विज्ञप्ति

नवीन निजी महाविद्यालय हेतु आवेदन करने की विलम्ब शुल्क के साथ अन्तिम तिथि 15 मार्च, 2013 थी लेकिन कुछ आवेदन 15 मार्च, 2013 के बाद भी प्राप्त हुए हैं, जिन्हें स्वीकार किये जाने में विधिक अडचन आ रही थी। इसी प्रकार कुछ संस्थायें 15 मार्च, 2013 के बाद भी नवीन महाविद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव आवेदन करने से शेष रह गये थे। शिक्षा के प्रसार एवं निहित जनहित के प्रश्न को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा नवीन निजी महाविद्यालयों के आवेदन हेतु अन्तिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2013 कर दी गई है अब कोई भी पात्र संस्था रू 50,000/- विलम्ब शुल्क के साथ 30 अप्रैल, 2013 तक निदेशालय कॉलेज शिक्षा, ब्लॉक न. 4, शिक्षा संकुल में जमा करवा सकती है।

इसी प्रकार पूर्व में संचालित हो रही कुछ संस्थाएँ स्थायी/अस्थायी अनापत्ति हेतु आवेदन करने से शेष रह गयी है। अतः उनके आवेदन के लिए भी यह तिथि 15 मार्च, 2013 से बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2013 कर दी गयी है। विलम्ब शुल्क रू 50,000/- रहेगा।

अधिक जानकारी एवं आवेदन पत्र इस विभाग की वेब साईट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है बिना निर्धारित प्रपत्र एवं निर्धारित अवधि प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।


नवीन जैन
निदेशक